

भारत सरकार

कारपोरेट कार्य मंत्रालय

5वां तल, 'ए' विंग, शास्त्री भवन

डा. राजेन्द्र प्रसाद रोड

नई दिल्ली-110 001

दिनांक : 29 जून, 2016

कार्यालय आदेश

मंत्रिमंडल सचिवालय के अर्धशासकीय पत्र सं. आई-11011/145/2015-डीबीटी दिनांक 16.05.2016 में निहित निर्देश की अनुपालना में और सचिव कारपोरेट कार्य मंत्रालय के अनुमोदन से संयुक्त सचिव (प्रशासन) की अध्यक्षता में जिसमें निम्नलिखित अधिकारी होंगे, एक डीबीटी प्रकोष्ठ की स्थापना तुरंत प्रभाव से की जाती है-

- (i) निदेशक, ई-गवर्नेंस प्रकोष्ठ
- (ii) उप सचिव, आईएफडी
- (iii) उप सचिव, प्रशासन और समन्वय
- (iv) वेतन एवं लेखा अधिकारी, कारपोरेट कार्य मंत्रालय

2. डीबीटी प्रकोष्ठ मंत्रालय द्वारा प्रशासित सभी योजनाओं का परीक्षण करेगा और सभी योजनाओं, जिसमें डीबीटी मंच पर वैयक्तिक हितधारियों को नकदी/वस्तु में हित अंतरण शामिल है, को शुरू करने का प्रयास करेगा।



(क्षितीश कुमार)

भारत सरकार के अवर सचिव

प्रति :-

संबंधित अधिकारी-ऊपर संदर्भित मंत्रिमंडल सचिवालय के अर्धशासकीय पत्र और उसी फाइल के तहत विषय पर जारी अनुवर्ती अर्धशासकीय पत्र दिनांक 16.06.2016 की एक-एक प्रति के साथ।

प्रतिलिपि प्रेषित-

1. सचिव के पीएसओ
2. अपर सचिव के प्रधान निजी सचिव
3. संयुक्त सचिव (एसी) के प्रधान निजी सचिव
4. ई-गवर्नेंस प्रकोष्ठ-व्यापक प्रचार के लिए कारपोरेट कार्य मंत्रालय की वेबसाइट पर "कारपोरेट कार्य मंत्रालय में डीबीटी प्रकोष्ठ" शीर्षक के साथ आदेश को उचित रूप से अपलोड करने का अनुरोध है।



(क्षितीश कुमार)

भारत सरकार के अवर सचिव